न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 18/2020 वाद

1. बगदीराम पिता चान्दमल माली, आयु 49 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. कैलाश पिता तुलसीराम माली, आयु 43 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
3. रंगलाल पिता चान्दमल माली, आयु 48 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
4. कन्हैयालाल पिता मोहनलाल माली, आयु 36 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
5. राजेश पिता मोहनलाल माली, आयु 29 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
6. प्रकाश पिता मोहनलाल माली, आयु 28 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
7. श्रीमती रूकमणी बाई पत्नी स्व. मोहनलाल माली, आयु 52 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1. श्रीमती विमला देवी पत्नी सज्जन सिंह नवलखा, जाति जैन, आयु 59 साल, निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा। – प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

श्री अनुराग ओझा, अधिवक्ता वादीगण, उपस्थित

निर्णय **दिनांक 09.06.2020**

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 293 की आराजी नं. 1306, 1307, 1310, 1311 कुल किता 4 कुल रकबा 1.2000 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात में से आराजी नं. 1307 का बंटवारा पूर्व में हो चुका है व अन्य आराजीयात बदस्तुर वादी व प्रतिवादी की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। दिनांक 08.08.2019 को वादीगण द्वारा संयुक्त रूप से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी नं. 1311 को प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 1166 दिनांक 28.08.2019 को खुला व प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज हुआ। प्रतिवादी की आराजी संख्या 1311 वादीगण की आराजी नं. 1306 की सीमा से लगी हुई है। वादीगण की आराजी नं. 1306 के दक्षिणी कोने पर वादीगण का पुश्तैनी कुआ स्थित है जिसके आराजी नं. 1310 है। उक्त चाह की आराजी नं. 1310 को वादीगण द्वारा कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय नहीं किया गया है फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 जानबुझ कर उक्त चाह की आराजी नं. 1310 को अपनी आराजी नं. 1311 में मिलाकर शामिल करना चाहती है तथा कुए को अपनी आराजीयात में मिलाकर हड़पना चाहती है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अभी हाल ही में प्रतिवादी संख्या

1 ने उक्त आराजी को हडपने का असफल प्रयास किया तब वादीगण ने पटवार हल्का से नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्राप्त किया तो ज्ञात हुआ है कि आराजी नं. 1310 कुआ को प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी नं. 1311 में गलत रूप से दर्शा दिया गया है जबकि विक्रय पत्र में उक्त आराजी का हवाला नहीं है और ना ही आराजी नं. 1310 को विक्रय किया गया है। प्रतिवादी गलत इन्द्राज का फायदा उठाते हुए उक्त कुए की आराजी को अपने कब्जे में करना चाहता है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि आराजी नं. 1310 जो वादीगण की आराजी नं. 1306 में स्थित है जिस पर वादीगण का हक अधिकार है, उसे राजस्व नक्शे में आराजी नं. 1306 के दक्षिणी छोर पर पैमुद करावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुई तथा ईकबाली जवाबदावा व राजीनामा प्रस्तुत करते हुए वादीगण के कथनों को स्वीकार किया तथा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में सहमति प्रकट की। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया।

मिसल का अवलोकन किया गया। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2072-75 ग्राम निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 293, नक्शा ट्रेस ग्राम निम्बाहेड़ा की प्रमाणित प्रति, विक्रय पत्र दिनांक 08.08.2019 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। विवादित भूमि आराजी नं. 1310 वादीगण की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। वादीगण रेकार्डेड खातेदार हैं। विक्रय पत्र दिनांक 08. 08.2019 में भी आराजी नं. 1310 के विक्रय का कोई हवाला नहीं है। ना ही नामान्तरकरण संख्या 1166 दिनांक 28.08.2019 में आराजी नं. 1310 का कोई विवरण है। इससे यह साबित होता है कि आराजी नं. 1310 का कोई विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं किया गया है। फिर भी नक्शा ट्रेस में उक्त कुआ आराजी नं. 1311 में अंकित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण का दावा स्वीकार किया है जिससे भी स्पष्ट होता है कि आराजी नं. 1310 के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। राजीनामा स्वीकार करते हुए वादीगण का दावा डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वाद वादीगण राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा निम्बाहेड़ा की आराजी नं. 1310 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुआ वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाकर आराजी नं. 1306 में मौका अनुसार तरमीम के आदेश दिये जाते हैं। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 09.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 18/2020 वाद

1. बगदीराम पिता चान्दमल माली, आयु 49 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. कैलाश पिता तुलसीराम माली, आयु 43 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
3. रंगलाल पिता चान्दमल माली, आयु 48 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
4. कन्हैयालाल पिता मोहनलाल माली, आयु 36 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
5. राजेश पिता मोहनलाल माली, आयु 29 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
6. प्रकाश पिता मोहनलाल माली, आयु 28 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
7. श्रीमती रूकमणी बाई पत्नी स्व. मोहनलाल माली, आयु 52 साल, निवासी निम्बाहेड़ा। – वादीगण

//बनाम//

1. श्रीमती विमला देवी पत्नी सज्जन सिंह नवलखा, जाति जैन, आयु 59 साल, निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा। – प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

प्रकरण में आज दिनांक को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग ओझा की तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अबरार अहमद की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस के लिए प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा निम्बाहेड़ा की आराजी नं. 1310 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुआ वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाकर आराजी नं. 1306 में मौका अनुसार तरमीम के आदेश दिये जाते हैं। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आज तारीख 09.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 23:58:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: